आज न्यायालय में पत्रावली लोक अदालत होने के कारण इस पत्रावली पर सुनवाई नहीं हो सकी है। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 13/7/24 को पेश हो।

18/5/24

13/7/24

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप। वकील वादी
की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा
जारी प्रमाणपत्र एवं तहसीलदार [illegible]
प्र0 प0 क्रमांक [illegible] जाति राजपूत व निवासी
ग्राम बिनोदपुरा तह. सांगोद का शपथपत्र
प्रस्तुत किया गया तथा वादी के हक
में वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।
मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन से
अवलोकन किया गया। पत्रावली के
उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड,
आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान
पत्र, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड जाति
दस्तावेज व [illegible] शपथ पत्र
का अवलोकन करने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर हुक्म
	कि आपत्ति पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा (पारित) जाकर आज्ञप्ति बनाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

तारीख दायरा 17.03.2021

प्रकरण संख्या : 39/2021

उनवान

रघुवीर सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम विनोदखुर्द तहसील सांगोद हाल निवासी रंगबाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान। —वादी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

दिनांक :— 13.07.2021

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम विनोदखुर्द पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 89 कुल 7 किता की 5.28 है0 आराजीयात स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

—:: विवरण आराजी ::—

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
विनोदखुर्द	89	138	0.81
		199	0.96

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

207	2.00
399	0.19
57/596	0.24
60	1.00
61	0.68

कुल किता 7 की कुल 5.28 है0 आराजीयात में वादी का 7/180 वां हिस्सा निहित है।

वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का बोलता नाम नारायण सिंह पुत्र केसर सिंह अंकित है। उक्त नाम वादी का घर का नाम है तथा बचपन में वादी को नारायण सिंह के नाम से पुकारते थे। वादी का नाम बचपन में बोलचाल की भाषा में घर परिवार के लोग नारायण सिंह बोलते थे, जिसके कारण वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नारायण सिंह पुत्र केसर सिंह अंकित हो गया है, जिससे वादी को अपने हिस्से की आराजीयात पर विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि सुविधाएं प्राप्त करने में काफी परेशानी हो रही है तथा वादी द्वारा पटवारी हलका महोदय से उक्त बचपन के नाम को सही करने के लिए काफी निवेदन किया गया, लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही गलत नाम को सही करने की कहकर मना कर दिया है, जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय में उक्त उनवान का वाद प्रस्तुत करके वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज बचपन के घर के नाम नारायण सिंह को दुरस्त करवाकर वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज सही नाम के अनुसार दुरस्त करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें कि :–

वाद पत्र में वर्णित ग्राम विनोदखुर्द पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 89 के खसरा नं0 138, 199, 207, 399, 57/596, 60, 61 कुल 7 किता की 5.28 है0 आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के बचपन के नाम नारायण सिंह पुत्र केसर सिंह को दुरस्त किया जाकर वादी के प्रचलित नाम रघुवीर सिंह पुत्र केसर सिंह के हक में खातेदार की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम नारायण सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री [illegible] घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में [illegible] के सादिर आदेश पारित फरमावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने [illegible] किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। वादी अधिवक्ता की ओर से ग्राम विकास अधिक[illegible] द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं सहखातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

हिम्मत सिंह पुत्र पदम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम विनोदखुर्द तहसील सांगोद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादी के हक में वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, साहखातेदार के शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम विनोदखुर्द पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 89 के खसरा नं0 138, 199, 207, 399, 57/596, 60, 61 कुल 7 किता की 5.28 है0 आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के बचपन के नाम नारायण सिंह पुत्र केसर सिंह को दुरस्त किया जाकर वादी के प्रचलित नाम रघुवीर सिंह पुत्र केसर सिंह दर्ज करने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.24 11:07:38 IST
Reason: SelfAttested